न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

R-777-PBR/17

कुरवाई एजुकेशन सोसाइटी
द्वारा डॉ ज़फर मेहदी ---------------- निगरानीकर्ता

नि. अ- १०८ अलकापुरी , भोपाल

विरुद्ध

मो. शोएब सिद्दीकी
नि. ५७ टुलिफ़ न्यू मिनाल जे.के. रोड भोपाल प्रति निगरानीकर्ता

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल के प्र. क्र. 1/अ-12/15-16 मे पारित आदेश दिनाक 7-1-17 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि से प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के तथ्य

संछिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं की प्रतिनिगरानी कर्ता ने ग्राम पीपलनेर की खसरा संख्या १३३/3/२ रकबा १.२३ एकड़ भूमि के सीमांकन के लिए दिनांक 10.2.16 को कलेक्टर के यहाँ सीमांकन के लिए आवेदन पेश किया तथा भू अभिलेख अधीक्षक को कलेक्टर के द्वारा सीमांकन के लिए निर्देशित किया गया । जिसमे कई बार सीमांकन की दिनांक बढ़ाये जाने के बाद दिनांक 7.1.17 को निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया ।

R 777-PBR/17 भोपाल

1-3-2017	प्रस्तुतकार आवेदक की ओर से श्री जगदीश जैन अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हो चुका है, परन्तु आवेदक को सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। अत: कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	1/3/17